परिपत्र-संग्रह (वित्त विभाग)

{झारखण्ड सरकार योजना-सह-वित्त विभाग सं०सं० : वित्त-7/वित्तीय नियंत्रण/1003/2011--3201/वि०}

(वित्त प्रभाग)

दिनांक-04 नवम्बर, 2016

विषयः- **Centage का दर निर्धारण के संबंध में ।**

राज्य के बोर्ड/निगम/सोसाइटी के द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए Centage की राशि चार्ज किया जाता है, परन्तु ऐसा पाया गया है कि राज्य के विभिन्न बोर्ड/निगमों के द्वारा अलग-अलग दरों पर निर्माण कार्यों के लिए राशि Centage के रूप में चार्ज किया जा रहा है ।

(2) अतः समीक्षोपरांत राज्य सरकार ने Centage राशि में एकरूपता बनाये रखने हेतु निम्न रूप से दर निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया है :-

(i)

क्र०	कार्य की लागत	Centage का अधिकतम दर
1.	परियोजना लागत 10 करोड़ रुपये तक	7%
2.	परियोजना लागत 10 करोड़ रुपये से अधिक एवं 100 करोड़ रुपये तक	10 करोड़ रुपये तक 7% + 10 करोड़ रुपये से अधिक एवं 100 करोड़ रुपये तक की परियोजना की राशि पर प्रति करोड़ 5%
3.	परियोजना लागत 100 करोड़ रुपये से अधिक	10 करोड़ रुपये तक 7% + 10 करोड़ रुपये से अधिक एवं 100 करोड़ रुपये तक की परियोजना की राशि पर प्रति करोड़ 5% + 100 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजना की राशि पर प्रति करोड़ 1%

(ii) वर्तमान में Contingency के रूप में ली जा रही 1% की राशि अनुमान्य नहीं होगी ।

(iii) Centage का दर मूल प्राक्कलन की राशि पर देय होगा न कि संशोधित प्राक्कलन पर ।

(3) प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक-3047/वि० दिनांक 19 अक्टूबर, 2016 के क्रम में दिनांक 21 अक्टूबर, 2016 की बैठक के मद संख्या-17 में दी गई है ।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा उसकी प्रतियाँ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्षों एवं महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखण्ड, राँची को प्रेषित किया जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(अमित खरे),

अपर मुख्य सचिव ।

परिपत्र-संग्रह (वित्त विभाग)

(झारखण्ड सरकार योजना-सह-वित्त विभाग पत्रांक : वित्त-19/वि०नि०-3001/2015--948/वि०)

दिनांक-17 मार्च, 2017

प्रेषक,

अमित खरे,

अपर मुख्य सचिव ।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी उपायुक्त,
सभी कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची ।

विषयः- वित्तीय वर्ष 2016-17 के मार्च माह में राशि की निकासी के लिए 15 प्रतिशत की अधिसीमा के संबंध में ।

महोदया/महोदय,

उपर्युक्त विषय पर विभागीय पत्रांक 621/वि० दिनांक 21 फरवरी, 2017 का कृपया निदेश करें, जिसके द्वारा मार्च, 2017 में कोषागारों से राशि की निकासी के लिए 15 प्रतिशत की अधिसीमा से शिथिलीकरण के संबंध में निदेश संसूचित किया गया था।

(2) शिथिलीकरण के प्रस्ताव प्रशासी विभाग के माध्यम से ही अपेक्षित था, परन्तु व्यवहार में प्रखण्ड/जिला स्तर के पदाधिकारियों से भी निरंतर प्राप्त हो रहे है, जिसमें औचित्य तथा आवंटन की प्राप्ति की तिथि पर कोई विवरण नही रहता है। राज्य स्तर पर यह अव्यावहारिक है कि प्रखण्ड एवं जिलों से प्राप्त प्रस्तावों पर योजना-सह-वित्त विभाग के द्वारा Case to Cases विचार कर आदेश जारी किए जा सकें ।

एतदर्थ इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि 15 प्रतिशत की अधिसीमा से शिथिलीकरण का प्रस्ताव केवल प्रशासी विभाग के माध्यम से ही पूर्ण औचित्य के साथ प्राप्त होने पर योजना-सह-वित्त विभाग के द्वारा विचार कर आदेश जारी किया जाएगा।

कृपया इससे सभी अधीनस्थ कार्यालयों को अवगत कराने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन,

(अमित खरे),
अपर मुख्य सचिव ।

परिपत्र-संग्रह (वित्त विभाग)

[झारखण्ड सरकार योजना-सह-वित्त विभाग पत्रांक : वित्त-19/वि०नि०-3001/2015--1075/वि०]

(वित्त प्रभाग)

दिनांक-22 मार्च, 2017

प्रेषक,

अमित खरे,

अपर मुख्य सचिव ।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,

सभी विभागाध्यक्ष,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त/उपायुक्त,

सभी कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी,

झारखण्ड, राँची ।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 के मार्च माह के अंतिम सप्ताह में कोषागार में विपत्रों की प्राप्ति एवं निष्पादन के संबंध में ।

महोदया/महोदय,

उपर्युक्त विषय पर कहना है कि दिनांक 30 मार्च, 2017 को सरहूल त्योहार के अवकाश को दृष्टिपथ में अपने अधीनस्थ सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को निदेश देने की कृपा की जाय कि दिनांक 29 मार्च, 2017 के सन्ध्या 4:00 बजे अपराह्न तक वित्तीय वर्ष-2016-17 में राशि की निकासी से संबंधित विपत्रों को कोषागार में समर्पित करना सुनिश्चित करें ।

(2) दिनांक 31 मार्च, 2017 को दोपहर 12 बजे तक ही कोषागार में विपत्र प्राप्त किए जाऐंगे । संबंधित उपायुक्त/कोषागार पदाधिकारी इसका दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करेंगे ।

(3) सरकारी प्राप्तियों से संबंधित चालान कोषागारों में दिनांक 31 मार्च, 2017 के सन्धया 5:00 बजे अपराह्न तक स्वीकार किए जा सकेंगे । विशेष परिस्थिति में उपायुक्त से अनुमति प्राप्त कर राजस्व प्राप्ति के चालान की अवधि बढ़ाई जा सकती है ।

(4) संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं कोषागार पदाधिकारी राशि को निकासी के संबंध में विभागीय पत्रांक-621/वि० दिनांक 21 फरवरी, 2017 पत्रांक 733/वि० दिनांक 28 फरवरी, 2017 एवं पत्रांक-948/वि० दिनांक 17 मार्च, 2017 के द्वारा संसूचित निदेशों एवं झारखण्ड कोषागार संहिता के सांदर्भिक नियमों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे ।

कृपया इससे सभी अधीनस्थ पदाधिकारियों को अवगत कराने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन,

(अमित खरे),

अपर मुख्य सचिव ।

परिपत्र-संग्रह (वित्त विभाग)

(झारखण्ड सरकार योजना-सह-वित्त विभाग पत्रांक : वित्त-19/विविध-05/2016--2504/वि०)

(वित्त प्रभाग)

दिनांक-24 जुलाई, 2017

विषय:- **भारत सरकार के समान्य वित्त नियमावली (GFR) 2017 के नियम 149 के द्वारा Government e market place (GeM) के प्रावधान के आलोक में झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 235(क) जोड़ने (Insert) करने के तथा भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के साथ होने वाले MOU की स्वीकृति के संबंध में ।**

भारत सरकार के वाणिज्यक एवं उद्योग मंत्रालय के अधीनस्थ DGS&D (Directorate General of Supply & Disposal) द्वारा बेहतर पारदर्शिता एवं कार्यकुशलता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सामग्रियों एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति हेतु एक Online portal GeM (Government e market place) की व्यवस्था प्रारम्भ की गई है । GeM portal के माध्यम से सामग्रियों एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति Direct purchase, L1 buying/bidding अथवा Reverse auction से किया जा सकता है ।

(2) भारत सरकार के सामान्य वित्तीय नियमावली (General Financial Rule) 2017 के नियम 149 में Government e market place (GeM) का प्रावधान निरूपित किया गया है । Government e market place (GeM) की सुविधा को झारखण्ड राज्य के सरकारी विभागों/कार्यालयों के द्वारा उपयोग करने के लिए यह आवश्यक है कि राज्य के वित्त नियमावली को भारत सरकार के वित्त नियमावली, 2017 के नियम 149 के अनुरूप परिमार्जित किया जाय । एतदर्थ सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार ने भारत सरकर के सामान्य वित्त नियमावली 2017 के नियम 149 के सदृश्य झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 235 के नीचे 235(क) को निम्नवत् जोड़ने का निर्णय लिया है :-

नियम 235 (क)

(i) रु० 50,000/- तक के क्रय GeM पर उपलब्ध किसी आपूर्तिकर्त्ता से कया जा सकेगा, जो आवश्यक गुणवत्ता, विशिष्टता एवं आपूर्ति अवधि को पूर्ण करते हों ।

(ii) रु० 50,000/- से अधिक तथा रु० 30,00,000/- तक के क्रय GeM पर उपलब्ध न्यूनतम मूल्य वाले विक्रेता से किए जा सकेंगे, जिसमें कम से कम तीन अलग-अलग उत्पादनकर्त्ता के उत्पाद शामिल होंगे, जो आवश्यक गुणवत्ता, विशिष्टता एवं आपूर्ति अवधि को पूर्ण करते हों । सक्षम प्राधिकारी के आदेश से आवश्यकतानुसार GeM पर उपलब्ध online bidding और online reverse auction का उपयोग किया जा सकेगा ।

(iii) रु० 30,00,000/- से उपर के क्रय न्यूनतम मूल्य वाले विक्रेता से किया जा सकेगा, जो आवश्यक गुणवत्ता, विशिष्टता एवं आपूर्त्ति अवधि को पूर्ण करते हों । इस कोटि के लिए GeM पर उपलब्ध online bidding या reverse auction का प्रयोग बाध्यकारी होगा ।

(iv) ई-निविदा (e-bidding)/रिवर्स ऑक्शन (Reverse auction) की सुविधा GeM portal पर सभी विक्रेताओं या पोर्टल पर निबंधित विक्रेताओं को उपलब्ध होगी, जिन्होंने GeM की शर्तों के अनुसार अपने वस्तुओं/सेवाओं को प्रस्तुत किया हो ।

(v) क्रय की उपर्युक्त वित्तीय अधिसीमा GeM से क्रय के लिए प्रभावी होगी । GeM से इतर क्रय के लिए वित्त नियमावली के सांदर्भिक नियम एवं समय-समय पर निर्गत अनुदेश प्रभावी होंगे ।

(vi) सभी प्रकार के बजट को PFMS से Integrate करने की GeM की योजना के तहत कार्रवाई की जायेगी ।

(vii) सरकारी क्रेता मूल्य के औचित्य को सुनिश्चित करने के लिए GeM Portal पर उपलब्ध Business Analytic Tools, GeM पर अंतिम क्रय का मूल्य या विभाग द्वारा विगत क्रय का उपयोग कर सकेंगे ।

(viii) वस्तुओं की अधिप्राप्ति की माँग को L1 क्रय/निविदा/रिवर्स ऑक्शन अथवा उच्च पदाधिकारी की स्वीकृति से बचने के लिए अधिप्राप्ति किये जाने वाले वस्तुओं के प्राक्कलन राशि के संदर्भ में विखंडित नहीं किया जायेगा ।

3. सभी सरकारी विभाग एवं अधीनस्थ कार्यालय के लिए झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 235(क) के अनुसार GeM Portal पर उपलब्ध वस्तुओं एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति बाध्यकारी होगी ।

4. GeM Portal से वस्तुओं एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति के संबंध में योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) यथा आवश्यक दिशा-निदेश निर्गत करने के लिए अधिकृत होगा ।

5. भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के साथ MoU के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग को अधिकृत किया जाता है ।

6. सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग सभी विभागों GeM से संबंधित आवश्यक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने के लिए अधिकृत किया जाता है । इस कार्य में योजना-सह-वित्त विभाग के PMU भी सहायता करेगा ।

7. नियम 235(क) केवल GeM पोर्टल पर उपलब्ध सुविधाओं के लिए ही प्रभावी होगा ।

8. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक-2420/वि० दिनांक 18 जुलाई, 2017 के क्रम में दिनांक 18 जुलाई, 2017 की बैठक के मद संख्या-15 में दी गई है ।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची/सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष को प्रेषित किया जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(अमित खरे),
अपर मुख्य सचिव ।

परिपत्र-संग्रह (वित्त विभाग)

{झारखण्ड सरकार योजना-सह-वित्त विभाग पत्रांक : वित्त-7/वित्त-07/37/2001--2191/वि०}

(वित्त प्रभाग)

दिनांक-31 अगस्त, 2018

विषयः- राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड के लिए स्थायी अग्रिम की राशि में बढ़ोत्तरी के संबंध में ।

झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 112 द्वारा स्थायी अग्रिम का प्रावधान किया गया है ।

2. स्थायी अग्रिम की व्यवस्था ऐसे मामलों के निष्पादन के लिए की जाती है जिनके लिए राशि की तुरन्त आवश्यकता हो और राजकोष से राशि की निकासी के लिए समय नहीं है ।

3. वित्त विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या-59 दिनांक 08 नवम्बर, 2011 द्वारा सरकारी विभागों के लिए अधिकतम रु० 1,00,000/- (एक लाख) मात्र तक तथा विभागाध्यक्षों के कार्यालयों के लिए अधिकतम रु० 80,000 (अस्सी हजार) मात्र तक स्थायी अग्रिम की अधिसीमा निर्धारित है ।

4. वर्तमान में राज्यपाल सचिवालय के लिए रु० 50,000/- (पचास हजार) के स्थायी अग्रिम की सीमा निर्धारित है । राज्यपाल सचिवालय के आकस्मिक खर्च यथा-राजभवन के मासिक/दैनिक खर्च, माननीय राज्यपाल के भ्रमण के दौरान विविध व्यय, राजभवन में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में विधि खर्च इत्यादि के लिए उक्त राशि आवश्यकता के अनुरूप काफी कम है । राज्यपाल सचिवालय के लिए स्थायी अग्रिम की अधिसीमा को रु० 50,000/- (पचास हजार) से बढ़ाकर 3,00,000/- (तीन लाख) रुपये करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था ।

5. सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि आकस्मिक खर्चों की आवश्यकता को देखते हुए विशेष परिस्थिति में राज्यपाल सचिवालय के लिए स्थायी अग्रिम की अधिसीमा रु० 3,00,000/- (तीन लाख) रुपये निर्धारित की जाय ।

6. इस पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक-2100/वि० दिनांक 21 अगस्त, 2018 के क्रम में दिनांक 24 अगस्त, 2018 की बैठक के मद संख्या-06 में प्राप्त है ।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची/सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष को प्रेषित किया जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(सुखदेव सिंह),
अपर मुख्य सचिव ।

परिपत्र-संग्रह (वित्त विभाग)

(झारखण्ड सरकार योजना-सह-वित्त विभाग पत्रांक : वित्त-20/विविध-03/2018--3168/वि०)

(वित्त प्रभाग)

दिनांक-24 दिसम्बर, 2018

प्रेषक,

सतेन्द्र सिंह,
सचिव (व्यय) ।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी/विभागाध्यक्ष,
सभी उपायुक्त,
सभी कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची ।

विषयः- **कार्य प्रमंडलों में DDO के द्वारा GST के अंतर्गत TDS की कटौती के लिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के परिपत्र संख्या-65/39/2018-DOR दिनांक 14 सितम्बर, 2018 के संदर्भ में Option-2 के अधीन उनदबीपदह प्रक्रिया को अंगीकृत करने के संबंध में ।**

महाशया/महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में निदेशानुसार कहना है कि झारखण्ड वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 51 के अंतर्गत दिनांक 01 अक्टूबर, 2018 के प्रभाव से संवेदकों/आपूर्तिकर्त्ताओं को किए जाने वाले भुगतान पर कार्य प्रमंडलों द्वारा रु० 2.50 लाख से ऊपर के संविदा मूल्य (Contract Value) पर संवेदकों/आपूर्तिकर्त्ताओं के विपत्रों से GST-TDS (CGST SGST के तहत) की कटौती की जानी है । इस राशि की कटौती कर इसे GSTN Council को प्रेषित करने की प्रक्रिया निर्धारित करने तथा इस कार्य को seamless तरीके से सम्पन्न कराने हेतु संबंधित Online Software को integrate करने का प्रस्ताव विचाराधीन था । सम्यक् विचारोपरांत इससे संबंधित तैयार किया गया SOP इस पत्र के साथ संलग्न है ।

अनुरोध है कि सभी कार्य विभाग अपने अधीनस्थ सभी कार्य प्रमंडलों को उपरोक्त के आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु निदेशित करना चाहेंगे ।

अनुलग्नक : यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

(सतेन्द्र सिंह),
सचिव (व्यय) ।

SOP for deduction of GSTat source

1. The Goods and Service Tax scheme was introduced by GOI w e f 1th July 2017. Initially it was provided that the payment of GST will be the responsibility of the concernde contractor/supplier, With effect from 1st of October it has been stipulated that GST will be deducted at source by DDO while making payment to the contractor/supplier.

2. This deduction of GST at source in a seameless manner would have required integration of the following three online softwares.

   a. WAMIS

   b. Treasury MIS

   c. GSTN Portal.

   This integration has been ensured and the following mechanism will be adopted to ensure seamle TDS deduction of GST.

3. A Public Works Division of Building Department, say, has to make payment to contractor against a '10 lakh. A sum of '1,05,000/- is to be deducted from the Gross bill towards security deposit ('50,000/ income tax ('20,000/-) labour cess ('10,000/-), royalty ('5000/-), CGST ('10,000/-) and SGST ('10,000/-) has also to render accounts to AG (A&E) office. The steps to be followed for accounting of the abo are mentioned below;

   A. Generation of bill through WAMIS

   B. Generation of HR (Hand Receipt) for CGST and SGST

   C. Entry in Cash Book

   D. Compilation of Monthly Accounts

   E. GST Accounts in the Books of Division

Step-1 Generation of bill through WAMIS

SI No	Particulars	Amount (')	Amount (')
A.	Gross value	10,00,000	10,00,000
	Recoveries		
(i)	Security Deposit	50,000	
(ii)	Income Tax	20,000	
(iii)	Labour Cess	10,000	
(iv)	Royalty	5,000	
(v)	CGST	10,000	
(vi)	SGST	10,000	1,05,000 (Total Recoveries)
B.	By Cheque		8,95,000

Step-2 Generation of HR (Hand Receipt) for CGST and SGST

Gross Total: ₹20,000

By Cheque: ₹20,000

Step-3 Entry in Cash Book

Receipt Side			Payment Side			
Particulars	By Cash	Head	Particulars	By Cash	By Cheque	Head
Received from "A" on account of RA Bill			paid to Sri "A" on RA bill vide MB No...	1,05,000	8,95,000	4059
Security Deposit	50,000	8443	paid to GST Council vide HR NO....		20,000	8658
Income Tax	20,000	8658				
Labour Cess	10,000	0230				
Royalty	5,000	0853				
CGST	10,000	8658				
SGST	10,000	8658				
Total	**1,05,000**			**1,05,000**	**9,15,000**	

Step-4 Compilation of Monthly Accounts

Receipt side	Amount (₹)	Payment Side	Amount (₹)
8443-00-108-02-76	50,000	4059-01-796-59-05-45	10,00,000
8658-00-112-05-76	20,000	8658-00-101-08(total GST TDS)	20,000
0230-00-106-06-76	10,000		
0853-00-102-02-76	5,000		
8658-00-101-05-CGST	10,000		
8658-00-101-06-SGST	10,000		
8782-00-102-10-76	9,15,000		
Total	**10,20,000**	**Total**	**10,20,000**

Step-5 GST Accounts in the Books of Division

Receipt side	Amount (₹)	Payment Side	Amount (₹)
8658-00-101-05-CGST	10,000	8658-00-101-08 (total GST TDS)	20,000
8658-00-101-06-SGST	10,000		
8658-00-101-07-IGST	0		0
Balance	0	Balance	**20,000**
Total	**20,000**	**Total**	

4. Option No.2 mentioned in the Circular No.65/39/2018-DOR dated 14 September, 2018 read with No.67/41/2018-DOR dated 28 September ,2018 issued by Ministry of Finance, Government of India shall be applicable only for Public Works Divisions who render the accounts to AG through WAMIS.

5. Divisional DDO shall present a cheque to Treasury for the **net amount** payable to Contractor Supplier after deducting the TDS. The DDO shall use the WAMIS application and DDO Level Perparation system for generating the payment details on the requisite format as per JTC and provisions of the PWD code.

6. The TDS amount so deducted from each bill of Contractor/Supplier by DDOs shall be recorded against Head **8658-00-101-07-IGST, 8658-00-101-05-CGST, 8658-00-101-06-SGST** in WAMIS system.

7. The amounts so accumulated in these heads (8658-00-101-07-IGST, 8658-00-101-05-CGST and 8658-00-101-06-SGST) of accounts will be deposited to GSTN on **Monthly basis** through cheque on HR form (Form No.28) prepared through WAMIS using the Account Head **"8658-00-101-08(total-GST-TDS)"**. These GST-TDS will be accounted for by PW Divisions.

8. Treasury will render account of all such paid TDS cheque under Head of Account "8782-00-102". it may be noted that GST amount so paid shall be identified on submission of accounts by Treasury at AG level.

9. The GST-TDS payment will not be treated as Part-V under Deposit Head "8443".

10. IFMS system will validate the payment of each TDS cheque with total deducted GST-TDS amount as available in the Treasury MIS system as per WAMIS reference number. (The deducted GST-TDS amount while making net payment to contractor/supplier shall be captured from WAMIS).

11. Public Works Division has to maintain the CASHBOOK through WAMIS System for all categories of TDS Deductions made and produce the accounts of it to AG Office on monthly basis.

12. The TDS amount as in WAMIS System so paid through Treasury should match the accounts as provided by WAMIS for TDS against each Contractor.

13. Following Heads of Accounts for Payments & Receipts of TDS by PW Division have been created by the Department of Finance, Government of Jharkhand with the consent of the Accountant General (Accounting & Entitlement), Jharkhand:-

8658-00-101-08	>	**Total-GST-TDS**
8658-00-101-07	>	**IGST**
8658-00-101-05	>	**CGST**
8658-00-101-06	>	**SGST**

14. The following must be ensured while dealing with the WAMIS software:

a. The TDS deducted from each Bill will be maintained in WAMIS system and upon withdrawal of bunched TDS amount by cheque, the deducted amount will be nullified i.e. the respective heads shall be debited. The purpose is to avoid under or over withdrawal of GST TDS from State Exchequer.

b. The bill of TDS payment by cheque under no circumstances shall be made before the payment of Net amount by cheque to Contractor.

15. The following procedure must be adopted for preparation of Bill for payment of Net Amount & TDS Amount (Both by Cheque).

a. DDO must generate the bill with Unique Reference number using WAMIS software for Net amount after deducting the TDS amount and forward the same to DDO Level Bill Preparation System for making payments to the Contractor/Supplier through Treasury.

b. DDO must fetch the WAMIS Bill data based on WAMIS Reference number for preparing the bill to be presented in Treasury for making the payment of Net Amount through Cheque.

c. The bunched TDS amount in WAMIS for payment must be generated through HR (PWA) Form-28 Financial Rule-205) under Head. "8658-00-101-08 (total GST-TDS)".

d. DDO must generate Challan form GSTN protal and obtain the CPIN for bunched TDS amount.

e. DDO must fetch the TDS data using the WAMIS Reference number and update the CPIN as generated by him/her for the bunched amount in DDO LEVEL BILL PREPARATION SYSTEM.

f. DDO must send the cheque to treasury and obtain the acknowledgement number for receipt of cheque by the treasury.

g. Treasury will pass the GST cheques on the same day to avoid any inconvenience in transferring money to GST Council.

h. All the DDOs should close the monthly accounts on the last day of the month in WAMIS system to avoid any discrepancies between cheques (GST) issued by Works Divisions and payments made by the Treasuries.

Secretary (Expenditure)

परिपत्र-संग्रह (वित्त विभाग)

{झारखण्ड सरकार योजना-सह-वित्त विभाग पत्रांक : वित्त-19/वित्तीय नियंत्रण/3001/2015--433/वि०}
दिनांक-20 फरवरी, 2019

प्रेषक,

सुखदेव सिंह,
अपर मुख्य सचिव ।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी उपायुक्त,
सभी कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी,
झारखण्ड ।

विषयः- वित्तीय वर्ष-2018-19 के मार्च माह में राशि की निकासी के लिए 15 प्रतिशत की अधिसीमा के संबंध में ।

प्रसंगः- वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-1681/वि० दिनांक 10 जून, 2016 423/वि० दिनांक 07 फरवरी, 2017 तथा पत्रांक-488 दिनांक 05 मार्च, 2018

महोदया/महोदय,

उपर्युक्त विषय पर प्रसंगाधीन पत्रों का कृपया संदर्भ लिया जाय । वित्तीय वर्ष-2018-19 के मार्च माह में कोषागार से राशि की निकासी के लिए निम्न का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

(1) वेतन एवं भत्तों को छोड़कर अन्य मदों में वित्तीय वर्ष-2018-19 में प्राप्त कुल आवंटन के 15 प्रतिशत की सीमा तक ही राशि की निकासी की जा सकेगी ।

(2) शत्-प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना में आवंटन के विरूद्ध पूरी राशि की निकासी की जा सकेगी ।

(3) केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में केन्द्रांश के रूप में प्राप्त सम्पूर्ण राशि एवं समानुपातिक राज्यांश की राशि आवंटन के अधीन निकासी की जा सकेगी, बशर्ते कि 31 मार्च, 2019 तक राशि का व्यय हो सकेगा ।

(4) तृतीय अनुपूरक बजट में प्रावधानित राशि के विरूद्ध निर्गत आवंटन की पूरी राशि की निकासी की जा सकेगी, बशर्ते यह किये गये कार्यों के विरूद्ध व्यय के लिए हो ।

उक्त अनुदेशों के अनुरूप ही संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं कोषागार पदाधिकारी के द्वारा विपत्र तैयार तथा पारित करने की कार्रवाई की जाय ।

विश्वासभाजन,

(सुखदेव सिंह),
अपर मुख्य सचिव ।

परिपत्र-संग्रह (वित्त विभाग)

(झारखण्ड सरकार योजना-सह-वित्त विभाग पत्रांक : वित्त-20/विविध-03/2018--732/वि०)

(वित्त प्रभाग)

दिनांक-19 मार्च, 2019

सेवा में,
राजकुमार श्रीवास्तव,
सरकार के अवर सचिव ।

सेवा में,
उपायुक्त,
राँची ।

विषयः- **विपत्रों से माल एवं सेवाकर कटौती करने के संबंध में ।**

प्रसंगः- **भवदीय पत्रांक-125(ii)/नजा० दिनांक 08 फरवरी, 2019**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि सम्प्रति उक्त पत्र में भवदीय द्वारा जिला नजारत शाखा, राँची के निकासी एवं व्ययन, पदाधिकारी जिला नजारत उप समाहर्त्ता, राँची के अधीन एक से अधिक DDO Code संचालित रहने की सूचना दी गयी है, जिसके कारण GST में निबंधन के फलस्वरूप मात्र एक DDO Code से विपत्र Generate होने एवं अन्य DDO Code से GST की राशि कटौती के पश्चात् विपत्र Generate नहीं हो पाने की कठिनाई का उल्लेख किया गया है ।

उपरोक्त के आलोक में स्पष्ट करना है कि-

(1) किसी एक स्थापना के अधीन DDO Code ही एक वैध TAN No. सहित कार्यरत रह सकते है, जो वित्त विभाग की सहमति से महालेखाकार, झाखण्ड के प्राधिकार पत्र के आलोक में संबंधित कोषागर द्वारा निर्गत एवं PMU कोषांग द्वारा Activate किये जाते हैं । आपके पत्र से स्पष्ट होता है कि जिला नजारत शाखा में एक से अधिक DDO Code संचालित किये जा रहे है, जिनमें विभिन्न बजटीय शीर्षों के अधीन बजटीय उपबंध प्राप्त किये गये है ।

(2) GST Network किसी DDO को एक वैध TAN No. के साथ ही GST में निबंधन के पश्चात् GST No. प्रदान करता है ।

(3) यदि अन्य DDO Code के साथ भी TAN No. संलग्न है तो GST Portal में GST No. प्राप्त किया जा सकता है, अन्यथा बाकी DDO Code में प्राप्त बजटीय उपबंध को मात्र एक DDO Code में सीमित (हस्तांतरित) करना होगा ताकि GST-TDS की कटौती की जा सके ।

(4) एक GST No. की Mapping विभिन्न DDO Code के साथ नहीं की जा सकती है ।

उपरोक्त के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई अपेक्षित है ।

विश्वासभाजन,

(राजकुमार श्रीवास्तव),
सरकार के अवर सचिव ।

परिपत्र-संग्रह (वित्त विभाग)

{झारखण्ड सरकार योजना-सह-वित्त विभाग पत्रांक : वित्त-20/विविध-09/2016--2918/वि०}

(वित्त प्रभाग)

दिनांक-6 नवम्बर, 2019

प्रेषक,

के० के० खण्डेलवाल,

अपर मुख्य सचिव ।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,

झारखण्ड ।

विषय:- सरकारी कार्यालयों के अधीन संचालित बैंक खातों का अविलम्ब Reconciliation कराने एवं अन्य कार्रवाई करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सरकारी कार्यालयों के अधीन संचालित विभिन्न बैंक खातों के मामले में हाल में यह सूचना मिली है कि बैंक खातों से अनाधिकृत रूप से राशि का अंतरण फर्जी चेक एवं अन्य अवैध माध्यम से अनाधिकृत बैंक खातों में किया गया है । इससे स्पष्ट है कि सरकारी राशि का गबन किया गया है । यह अत्यंत चिन्ता का विषय है एवं प्रथम दृष्टया इसमें कई लोगों के संलिप्त होने की आशंका है ।

उदाहरण के तौर पर गुमला जिले में ITDA के भारतीय स्टेट बैंक, गुमला में संचालित बैंक खाते में संधारित राशि में से लगभग 9.05 करोड़ रुपये की राशि उड़ीसा में किसी निजी व्यक्ति के एक्सिस बैंक, कोटपाड़, उड़ीसा के खाते में अनाधिकृत रूप से अंतरण की गई एवं तत्पश्चात् उस षड्यंत्रकारी खाताधारी व्यक्ति के द्वारा उस राशि का पुन: 22 खातों में अंतरण कर राशि के गबन का प्रयास किया गया । मामला प्रकाश में आने पर कतिपय कार्रवाई की गई ।

इसी प्रकार 15 जून, 2018 को पलामू जिला में जिला-भू-अर्जन पदाधिकारी के भारतीय स्टेट बैंक, डालटेनगंज के खाते में संधारित राशि में से 12.60 करोड़ रुपये दो फर्जी चेक के माध्यम से क्रमश: 4.20 करोड़ रुपये की राशि एक्सिस बैंक, सम्भलपुर, उड़ीसा एवं 8.40 करोड़ रुपये की राशि फेडरल बैंक, पुणे के खाते में अंतरित की गई । आश्चर्य का विषय यह है कि लगभग 16 महीने बीत जाने के बावजूद भी इस अवैध अन्तरण के संबंध में न तो जिला-भू-अर्जन कार्यालय के द्वारा प्रतिवेदित किया गया, न ही इस संबंध में जिला अथवा विभागीय स्तर से इस गबन की सूचना प्राप्त हुई । बैंक के पदाधिकारियों के द्वारा भी फर्जी चेक के आधार पर इतनी बड़ी राशि का भुगतान किया जाना आश्चर्यजनक है ।

इसी प्रकार वित्तीय वर्ष-2017-18 में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची के मध्याह्न भोजन योजना की 100 करोड़ रुपये की राशि को भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अनाधिकृत रूप से अंतरण करने का मामला प्रकाश में आया था । मामला प्रकाश में आने पर कतिपय कार्रवाई भी की गयी ।

उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि योजनाबद्ध तरीके से बैंक में रखी सरकारी राशि के गबन की पूर्णत: संभावना है । साथ ही लम्बे समय तक ऐसे मामले प्रकाश में नहीं आना इस बात को दर्शाता है कि संबंधित कार्यालयों के द्वारा समुचित रूप से सरकारी खातों की राशि का बैंक खातों से Reconciliation नियमित रूप से नहीं किया जा रहा है ।

सरकारी बैंक खातों की राशि के संधारण के संबंध में विभाग के द्वारा पत्रांक-1890 दिनांक 16 जुलाई, 2019 पत्रांक-996 दिनांक 03 मई, 2018 पत्रांक-3245 दिनांक 07 अक्टूबर, 2017 पत्रांक-2721 दिनांक 15 सितम्बर, 2016 पत्रांक-1475 दिनांक 14 मई, 2010 तथा पत्रांक-3887 दिनांक 01 दिसम्बर, 2009 एवं अन्य के माध्यम से समय-समय पर दिशानिर्देश निर्गत किये गये है । चूँकी हाल में इस तरह के गबन के मामले लगातार प्रकाश में आ रहे है, अत: इस पर अत्यन्त तत्परता से निम्नलिखित कार्रवाई अपेक्षित है :-

1. सभी सरकारी राशि का बैंक के साथ Reconciliation एक सप्ताह के अन्दर कराना सुनिश्चित करें । जिन खातों में बड़ी राशि रहती है, उनका Reconciliation अगले तीन दिन के अन्दर करा लिया जाय ।

2. पलामू के जिला-भू-अर्जन कार्यालय से राशि के अवैध अंतरण से ऐसा प्रतीत होता है कि संभवत: Reconciliation कराने में/कैशबुक के संधारण में भी त्रुटियों/लापरवाही की गयी है, जिससे इस गबन के बारे में समय पर जानकारी नहीं मिली । चूँकि जिला भू-अर्जन कार्यालय, पलामू के कैशबुक के संधारण में जानबूझकर त्रुटि करने की भी बातें सामने आ रही है, अत: यह आवश्यक है कि बड़ी राशि के Transaction होने वाले सभी खातों से संबंधित कैशबुक की जाँच भी अविलम्ब 2017-18 से अबतक अद्यतन करते हुए गहन रूप से दिनांक 15 नवम्बर, 2019 तक करा ली जाय ।

3. बैंक खातों में राशि संधारित करने वाले पदाधिकारियों का अद्यतन मोबाईल नं० बैंक को उपलब्ध कराया जाय एवं उनके स्थानान्तरण होने पर उनके प्रभार ग्रहण करने के साथ ही उसे अद्यतन कराने की कार्रवाई भविष्य में सुनिश्चित की जाय । बैंकों में नये प्रभार ग्रहण करने वाले पदाधिकारी का नमूना हस्ताक्षर भेजने के साथ ही पदाधिकारी का अद्यतन मोबाईल नं० भी अंकित करना सुनिश्चित किया जाय, जिसे बैंक संधारित करना सुनिश्चित करें तथा कार्यशील सभी बैंक खातों में भी संबंधित पदाधिकारी का मोबाईल नं० दिनांक 15 नवम्बर, 2019 के पूर्व अंकित कराया जाय ।

4. एक लाख से ऊपर की राशि की निकासी करने के पूर्व बैंक पदाधिकारी के द्वारा खाता संधारित करने वाले सरकारी पदाधिकारी से राशि के भुगतान से संबंधित चेक की बैधता की सम्पुष्टि निश्चित रूप से बिना अपवाद के करायी जाय तथा बिना चेक की वैधता की सम्पुष्टि के भुगतान नहीं हो ।

5. एक लाख से ऊपर की राशि की निकासी पर खाता संधारित करने वाले पदाधिकारी के पास निश्चित रूप से SMS Alert बैंक के द्वारा भेजना सुनिश्चित किया जाय ।

6. एक करोड़ रुपये से अधिक के Single Transaction का अनुश्रवण उपायुक्त के द्वारा भी किया जाना आवश्यक है । इसके लिए वे यथासम्भव अपर समाहर्ता से अन्यून स्तर के किसी पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी घोषित करें । वह माहवार वैसे खातों एवं Transaction की विवरणी प्राप्त करें । जिसमें एक माह में कुल एक करोड़ रुपये से अधिक की राशि की निकासी/अंतरण हुआ है एवं इसकी समीक्षा कर की जाय । साथ ही, एक करोड़ रुपये से ऊपर के Single Transaction का हर माह गहन रूप से अनुश्रवण किया जाय । ऐसी विवरणी समेकन करने में LDM की भी सहायता ली जा सकती है । इसके आधार पर नोडल पदाधिकारी एवं LDM की सहायता से उपायुक्त हर माह एक करोड़ से ऊपर के Single Transaction का अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें, जिससे अगर बड़ी राशि की गलत निकासी हो रही हो तो उसके बारे में विधि सम्मत आवश्यक कार्रवाई की जा सके ।

7. जिन बैंक खातों से राशि का बड़ा Transaction किया जाता है, उन खातों का प्रत्येक सप्ताह Reconciliation किया जाय ।

8. सभी सरकारी बैंक खातों में Government Code का अंकन कराने की कार्रवाई की जाय ।

9. यह सुनिश्चित किया जाय कि कोई भी सरकारी बैंक खाता व्यक्तिगत नाम से संधारित नहीं है, क्योंकि प्राय: ऐसी आशंका व्यक्त की जाती है कि कतिपय सरकारी पदाधिकारियों यथा कई कनीय अभियंता आदि के द्वारा सरकारी राशि को व्यक्तिगत नाम के खाते में रखा जाता है । इस विषय को महालेखाकार द्वारा भी प्रतिवेदित किया गया था ।

10. बैंकों में प्रत्येक स्तर पर ऐसी ठोस व्यवस्था लागू की जाये, जिससे विभाग/जिला स्तर पर Monitoring की जा सके एवं राशि के अंतरण में किसी प्रकार की अनियमितता की संभावना न रहे । इसके लिए सभी समुचित कदम उठाये जायें ।

11. प्रत्येक माह Reconciliation कराकर उसका प्रतिवेदन संबंधित सरकारी कार्यालय में एक गार्ड फाइल बनाकर उसमें रखा जाय, ताकि सक्षम स्तर से उसकी कभी भी जाँच की जा सके ।

12. सभी सरकारी कार्यालयों में कैश बुक का अद्यतन संधारण आवश्यक है । कैश बुक का प्रतिदिन संधारण एवं अद्यतन करना सुनिश्चित किया जाय एवं उसमें जो भी पदाधिकारी लापरवाही बरतते है, उन पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाय । कैश बुक अद्यतन रहने का प्रमाण पत्र हर माह नामित नोडल पदाधिकारी को भी प्राप्त हो एवं उपायुक्त इसकी प्रत्येक माह अनुश्रवण करें ।

13. सरकारी राशि का बैंक खाता वित्त विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त कर ही खोलने का पूर्व से विभाग का निदेश रहा है। इसके बावजूद बिना वित्त विभाग के अनुमति के काफी संख्या में खाते खोले गये है । अतः इन खातों की जाँच करें एवं ऐसे अनावश्यक खातों को अविलम्ब बन्द करायें । उदाहरण के तौर अगर जिला भू-अर्जन कार्यालय या ITDA कार्यालय के द्वारा एक से अधिक बैंक खाते अनावश्यक रखे गये है तो बाकी खातों को बन्द कराने की कार्रवाई करें । कई बैंक खातों में लंबे समय से राशि अनावश्यक पड़ी है । इन सभी बिन्दुओं पर विस्तृत समीक्षा कर उन्हें बन्द कराने की कार्रवाई की जाय ताकि इस तरह से बैंक राशि के गबन के प्रयासों पर रोक लग सके रहे ।

14. जिला के अधीन सभी सरकारी कार्यालयों एवं कोषागार से संचालित विभिन्न बैंक खातों के संबंध में निम्न प्रपत्र में वांछित सूचना उपलब्ध करायी जाय :-

कार्यालय का नाम	बैंक खातों की संख्या	अद्यतन Reconciliation (मिलान) किये गये बैंक खातों की संख्या	बैंक खातों की संख्या जिनमें Govt. Code है	बैंक खातों की संख्या जिनमें SMS Alert सुविधा है ।	बैंक खातों की संख्या जिसमें चेक की वैधता की सम्पुष्टि फोन के माध्यम से की जा रही है ।
1	2	3	4	5	6

15. उपर्युक्त सभी कंडिकाओं का कंडिकावार अनुपालन प्रतिवेदन दिनांक 16 नवम्बर, 2019 तक विभाग को उपलब्ध कराया जाय ।

विश्वासभाजन,

(के० के० खण्डेलवाल),

अपर मुख्य सचिव ।

परिपत्र-संग्रह (वित्त विभाग)

{झारखण्ड सरकार योजना-सह-वित्त विभाग पत्रांक : वित्त-19/वित्तीय नियंत्रण/3001/2015--775/वि०}

दिनांक-24 मार्च, 2020

प्रेषक,

दीप्ति जयराज,

विशेष सचिव ।

सेवा में,

सभी कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी,

झारखण्ड ।

विषय:- **वित्तीय वर्ष-2019-2020 के मार्च माह में राशि की निकासी के लिए 15 प्रतिशत की अधिसीमा के संबंध में ।**

प्रसंग:- **वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-1681/वि० दिनांक 10 जून, 2015**

महोदया/महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का कृपया निदेश किया जाय । वित्तीय वर्ष-2019-2020 के मार्च माह में कोषागारों से राशि की निकासी को 15 प्रतिशत की अधिसीमा से निम्न शर्त्तों के अधीन विमुक्त किया जाता है :-

(1) राशि की निकासी हेतु आवंटन उपलब्ध हो एवं यथा नियम यथा प्रक्रिया निकासी हेतु स्वीकृति सक्षम स्तर से संसूचित हो ।

(2) निकासी हेतु JTC के नियम 174 का अनुपालन हो ।

(3) निकासी Voucher Based हो ।

(4) दावे की शुद्धता एवं प्रमाणिकता के लिये प्रशासी विभाग एवं DDO उत्तरदायी होंगे ।

(5) दिनांक 31 मार्च, 2020 तक व्यय के उपरांत यदि कोई राशि unspent हो तो उसे सरकारी कोष में जमा किया जाय ।

(6) PL खाता में राशि जमा करने के लिये 15 प्रतिशत की अधिसीमा की शर्त्त लागू नही होगी, परन्तु इससे राशि की निकासी हेतु 15 प्रतिशत की अधिसीमा का बंधेज लागू रहेगा ।

सभी कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी उपरोक्त वर्णित शर्त्तों का दृढता पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित कर विपत्रों को पारित करने की कार्रवाई करेंगे । निदेशों के पालन में किसी भी प्रकार की शिथिलता होने पर संबंधित कोषागर पदाधिकारी/कर्मी पूर्णरूपेण जिम्मेवार होंगे । उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा की किये गये कार्यों के विरूद्ध ही राशि की निकासी हो ।

विश्वासभाजन,

(दीप्ति जयराज),

विशेष सचिव ।

परिपत्र-संग्रह (वित्त विभाग)

{झारखण्ड सरकार योजना-सह-वित्त विभाग पत्र संख्या : वित्त-19/वित्तीय नियंत्रण/3001/2015--810/वि०}

(वित्त प्रभाग)

दिनांक-30 अप्रैल, 2020

विषयः- COVID-19 Lockdown के कारण आर्थिक मंदी को देखते हुये कोषागार से निकासी से संबंधित दिशा निर्देश ।

वर्त्तमान सयम में COVID-19 महामारी के प्रभाव के कारण संपूर्ण देश में Lockdown है । Lockdown के कारण राजस्व, संग्रहण में संभावित कमी को देखते हुये राज्य में होने वाले व्यय पर नियंत्रण किया जाना आवश्यक है । अतः उक्त को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा ज्ञापांक-788/वि० दिनांक 4 अप्रैल, 2020 द्वारा आदेश निर्गत किये गये थे, जिस के में मई, 2020 से अगले आदेश तक समीक्षोपरान्त मात्र निम्नलिखित विपत्र ही पारित किये जाने का निर्णय लिया गया है

(1) प्रतिमाह वेतनादि एवं मानदेय/संविदा राशि/पारिश्रमिक (Outsource कर्मियों सहित) विपत्र । पूर्व के किसी भी के बकाये की निकासी नहीं की जायेगी ।

(2) सेवानिवृत्ति लाभ एवं पेंशन विपत्र ।

(3) स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के निर्माण कार्य को छोड़कर अन्य विपत्र ।

(4) खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के खाद्यान्न से संबंधित विपत्र ।

(5) महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के Supplementary Nutrition से संबंधित विपत्र एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन के विपत्र ।

(6) COVID-19 के नियंत्रण हेतु किये कार्यों से संबंधित विधि व्यवस्था एवं आपदा प्रबंधन के आवश्यक विपत्र

(7) स्कूली, शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के Midday Meal से संबंधित विपत्र ।

(8) कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के निर्माण कार्य को छोड़कर कृषि, उद्यान, मत्स्य, पशुपालन में बीज, कीटनाशक दवायें, खाद, आवश्यक कृषि उपकरण एवं कृषि प्रसार संबंधी आवश्यक गतिविधि से संबंधित विपत्र

(9) सभी केन्द्रीय योजना तथा 14वें एवं 15वें वित्त आयोग से संबंधित व्यय ।

(10) कार्यालयों में आवश्यक कार्यों एवं पारिश्रमिक के भुगतान के लिये मई 2020 से प्रतिमाह कार्यालय व्यय, दूरभाष मशीन एवं उपकरण मद तथा ईधन एवं मरम्मती मद में कुल बजट उपबंध का अधिकतम 3 प्रतिशत राशि की निकासी की जा सकेगी ।

(11) PL खाता से निकासी में भी उपर्युक्त कंडिकाओं में वर्णित शर्त्त लागू रहेगी ।

(12) उपरोक्त के अतिरिक्त अगर किसी राशि का विपत्र पारित करना अति आवश्यक होगा, तो प्रशासी विभाग औचित्य के साथ प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजेगा । वित्त विभाग के अनुमति के पश्चात् ही विपत्र पारित किया जायेगा इसके अतिरिक्त निर्माण कार्य से संबंधित कोई विपत्र पारित नही किये जायेंगे । कृपया उक्त का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

उपर्युक्त निर्देश अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(के० के० खण्डेलवाल),

अपर मुख्य सचिव ।

(झारखण्ड सरकार योजना-सह-वित्त विभाग पत्र संख्या : वित्त-19/वित्तीय नियंत्रण/3001/2015--975/वि०)

(वित्त प्रभाग)

दिनांक-11 जून, 2020

आदेश

विषयः- COVID-19 के कारण वित्तीय वर्ष-2020-2021 में कोषागार से निकासी से संबंधित दिशा-निर्देश ।

योजना-सह-वित्त विभाग के आदेश ज्ञापांक-810, दिनांक 30 अप्रैल, 2020 द्वारा COVID-19 महामारी
Lockdown के कारण वित्तीय वर्ष-2020-2021 में कोषागार से पारित किये जाने वाले विपत्रों के संबंध में दिशा-निर्दे
निर्गत है । उक्त के क्रम में सामान्य भविष्य निधि में संचित राशि एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी विपत्रों के विरूद्ध निकास
पर भी रोक है ।

सामान्य भविष्य निधि से सामान्यतः स्वास्थ्य, शिक्षा एवं विवाह जैसे महत्वपूर्ण मामलों के निष्पादन हेतु निधि का आहरण
किया जाता है तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति विपत्र, कर्मियों के चिकित्सा पर हुए व्यय से संबंधित होते हैं, जो कर्मी के वेतन
ही एक अंग है । अतः सरकार द्वारा समीक्षोपरांत वित्तीय वर्ष-2020-2021 में कोषागार से निम्नलिखित विपत्रों को भी चालि
किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

(1) सेवानिवृत्त कर्मियों के मामलो में सामान्य भविष्य निधि में कुल संचित राशि की निकासी की जा सकेगी । उक्तवि
अन्य कर्मियों के लिए सामान्य भविष्य निधि से केलव स्वास्थ्य, शिक्षा अथवा विवाह से संबंधित मामलों के लि
ही अग्रिम निकासी की जा सकेगी । इसके अतिरिक्त अन्य मामलों के लिए सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम निकासी
पर रोक रहेगी ।

(2) कर्मियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति से संबंधित विपत्र ।

(3) पेयजल तथा बिजली आपूर्ति के ऑपरेशन तथा मेन्टेनेंस (O & M) से संबंधित विपत्र ।

(4) शहरी स्थानीय निकाय अंतर्गत जलापूर्ति के संचालन एवं सम्पोषण कार्य तथा साफ-सफाई के कार्य से संबंधित विपत्र ।

(5) अनुमान्यता के अनुरूप दूरभाष मद तथा Internet से संबंधित विपत्र की राशि की निकासी पर प्रभावी 3 प्रतिशत के
बंधेज को शिथिल किया जाता है ।

(6) कार्यालयों में आवश्यक कार्यों से पारिश्रमिक के भुगतान के लिए माह जून, 2020 से प्रतिमाह कार्यालय व्यय, मशीन एवं
उपकरण मद तथा ईंधन एवं मरम्मती मद में कुल प्राप्त आवंटन का अधिकतम 8 प्रतिशत राशि की निकासी की जा सकेगी ।

(7) अनुमान्यता के अनुरूप वाहय स्त्रोत से रखे गये वाहनों के मासिक किराया से संबंधित विपत्रों की राशि की निकासी
की जा सकेगी ।

(8) सभी मामले जो माननीय न्यायालय के आदेश से आच्छादित है, के संदर्भ में विभागीय सचिव अपने स्तर से
निर्णय लेते हुए राशि की निकासी कर सकेंगे ।

पूर्व में निर्गत आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय ।

उपर्युक्त निर्देश अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(अविनाश कुमार सिंह),
अपर सचिव ।

परिपत्र-संग्रह (वित्त विभाग)

(झारखण्ड सरकार योजना-सह-वित्त विभाग सं०सं० : वित्त-19/वित्तीय नियंत्रण/3001/2015--1254/वि०)

(वित्त प्रभाग)

दिनांक-20 जुलाई, 2020

आदेश

विषय:- COVID-19 के कारण वित्तीय वर्ष-2020-2021 में कोषागार से निकासी से संबंधित दिशा-निर्देश ।

योजना-सह-वित्त विभाग के आदेश ज्ञापांक-810, दिनांक 30 अप्रैल, 2020 आदेश ज्ञापांक-975/वि० दिनांक 11 जून, 2020, आदेश ज्ञापांक-977/वि० दिनांक 11 जनू, 2020 एवं आदेश ज्ञापांक-1135/वि० दिनांक 01 जुलाई, 2020 द्वारा COVID-19 महामारी एवं Lockdown के कारण वित्तीय वर्ष-2020-2021 में कोषागार से निकासी के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत है ।

पूर्व निर्गत व्यय नियंत्री निर्देशों के क्रम में निम्नलिखित राशि की निकासी की अनुमति प्रदान की जाती है :-

(1) सभी राज्य प्रायोजित योजनाओं के बजटीय उपबंध के निम्नांकित Unit Heads में राशि की निकासी की जा सकती है :-

(क) प्राथमिक इकाई/Primary Unit -43-अनुरक्षण, मरम्मती एवं सुसज्जीकरण (सामग्री)/Maintenance Repair and Furnishing (Material)

(ख) प्राथमिक इकाई/Primary Unit-45-निमार्ण कार्य/Construction Works

(ग) प्राथमिक इकाई/Primary Unit-59-अन्य व्यय/Other Charge

(घ) प्राथमिक इकाई/Primary Unit-78-पूँजी परिसम्पति के सृजन हेतु अनुदान/Grants for Creation of Capital Assets

(ङ) प्राथमिक इकाई/Primary Unit -79-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)/Grants in Aid General (Non Salary)

उक्त इकाईयों में राशि की निकासी सितम्बर, 2020 तक वित्तीय वर्ष के लिए किए गए बजटीय उपबंध के 10 प्रतिशत तक की जा सकती है । विभाग अपनी प्राथमिकता के अनुसार उपरोक्त इकाईयों के लिए बजटीय उपबंध का किसी एक इकाई या अधिक इकाईयों का सम्मिलित 10 प्रतिशत तक ही व्यय कर सकते है । बजटीय उपबंध की गणना उक्त मदों में विभागीय माँग संख्या (Demand Number) के आधार पर की जायेगी ।

विभागों से अपेक्षित है कि उक्त सीमा के अंतर्गत अपने प्राथमिकताओं के आधार पर इस राशि की निकासी कोषागार, PL खाता, Civil Deposit अथवा Deposit Head के अंतर्गत करना सुनिश्चित करते हुए इस संबंध में अपने अधीनस्थ कार्यालयों को निदेशित करने की कार्रवाई की जाय ।

उपर्युक्त निर्देश अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(अविनाश कुमार सिंह),
अपर सचिव ।